

यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

क्रं	फर्द अहकाम	
१०/१३	<p>पत्रावली आज माननीय न्यायालय किरम कलक्टर करौली हाथ प्रांफ 235 के पारित निर्णय के दिखे जाये कि देमानुसार आज पेश हुई। वक्तु जाय उपस्थित। प्रकरण के प्रांफ 07 R 11 का स्वीकार किता जाकर वाही का मु.ने. 20/23 हाथ एका प्रांफ अहमार् निषेधाज्ञा 16/23 शर्कर बनाये समक कार व अन्त के अंतर्गत आश 07 R 11 के प्रमाण के तहत रिजेक्ट किता जाकर स्वरिज किता जाता है। विस्तृत निर्णय पुस्तक के लिखा जाकर शामिल पत्रावली किता जाय। पत्रावली के सल सुधार देकर नम्वर है करु घे 18</p>	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)